41

[2020] 1 एस. सी. आर 41

ए.

एम. अरुमुगम

वी.

मानवीय और ओ. आर. एस. (2009 की सिविल अपील संख्या 8642) जनवरी 08,2020

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और दीपाक गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-ss.4(ख), 6,8,19 और 30-संयुक्त परिवार-कर्त्ता की भूमिका बनाम नाबालिग सदस्य-प्रतिवादी संख्या।1 & 2 उनके पिता के साथ सह-सहभागी का गठन किया गया, जो मुकदमे की संपत्ति के मालिक थे-पिता की निर्वसीयत मृत्यु हो गई-संपत्ति का एक तिहाई प्रत्येक बेटे को चला गया और शेष एक तिहाई जो सह-सहभागी में पिता का हिस्सा था, प्रतिवादी नं।5 (पत्नी), प्रतिवादी संख्या।1 & 2 और तीन बेटियाँ अर्थात् वादी (सबसे छोटी बेटी) और प्रतिवादी संख्या।3 & 4 – वादी ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि पिता के हिस्से में आने वाली संपत्ति का विभाजन किया जाए-प्रतिवादी संख्या।1 & 2 अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वादी (उस समय नाबालिग का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया गया था), प्रतिवादी संख्या।3-5 संयुक्त रूप से उनके पक्ष में संपत्ति में अधिकारों को त्यागते हुए पंजीकृत रिहाई विलेख निष्पादित किया गया और बाद में, प्रतिवादी संख्या के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख निष्पादित किया गया।1 & 2 और उसके बाद वे संपत्ति के कब्जे में रहे हैं-मुकदमा खारिज-उच्च न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःपिता की मृत्यु के बाद, सह-आंशिक संपत्ति में उसका हित एस के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगा।8 उत्तराधिकार अधिनियम के बाद से उन्होंने कई महिला वर्ग-I उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ दिया-इसके अलावा, एस का संयुक्त अध्ययन।30 एस के साथ।19 यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संपत्ति को एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना था, हालांकि इसे कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किराएदारों के रूप में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि संपत्ति को विभाजित नहीं किया जाता है, विभाजित नहीं किया जाता है या पारिवारिक निपटान में सौदा नहीं किया जाता है-यहां तक कि यह मानते हुए भी कि संपत्ति एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, तब भी वादी की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कर्ता यानी प्रतिवादी नं।1 नाबालिग वादी का स्वाभाविक संरक्षक था-कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधक है-वह संयुक्त परिवार के नाबालिग सदस्यों का संरक्षक

नहीं है-जब संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच पारिवारिक समझौता हो रहा है और कुछ सदस्य त्याग देते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

41 ए.

42 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एस. सी. आर.

कर्त्ता के पक्ष में उनके हिस्से के रूप में, कर्त्ता उस नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जिसका हिस्सा कर्त्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है-हितों का टकराव होगा-ऐसी स्थिति में यह केवल माँ होगी जो स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ को शून्य नहीं कहा जा सकता है-सबसे अच्छा, यह एस के संदर्भ में एक अमान्य दस्तावेज़ था।8 संरक्षकता अधिनियम और वादी के बहुमत प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए थी-इसके अलावा, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में यह विश्वास करना मुश्किल है कि वादी को विभिन्न स्थानान्तरणों के बारे में पता नहीं था-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया गया-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956-एस।6, 8 – पारिवारिक कानून।

बी.

सी.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 -एस. 30-आयोजितःएस. 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी हिंदू वसीयत या किसी अन्य वसीयती स्वभाव से संपत्ति के अपने हिस्से का निपटान कर सकता है जो उसके द्वारा इस तरह से निपटाया जाने में सक्षम है।30 यह प्रावधान है कि मिताक्षर सह-पक्ष में एक पुरुष हिंदू के हित को एस के अर्थ के भीतर उसके द्वारा निपटाई जाने में सक्षम संपत्ति माना जाएगा।30 – इसका मतलब यह है कि कानून निर्माताओं का इरादा था कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मिताक्षर सह-भागीदारी में एक पुरुष हिंदू का हित वस्तुतः उसकी स्व-अर्जित संपत्ति-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956-एस. एस. के समान होना चाहिए।6,8.

डी.

ई.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-एस.6 – विषय-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956** की धारा **6** का प्रारंभिक भाग, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि केवल पुरुष वंशज ही जीवित बचे थे, तो उन्हें स्वतः ही सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार या हित प्राप्त होंगे।उस समय सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था।यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए था कि परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि कोई प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी है, तो मृतक का हित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।धारा **6** के पहले स्पष्टीकरण में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हिंदू सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में उसका हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता अगर विभाजन 'क' होता।

एफ.

जी.

एच.

43

एम. अरुमुगम बनाम ए. एम. ए. एन. आई. ए. एम. एम. एल. और ओ. आर. एस.

यह उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था।वर्तमान मामले में, यदि विभाजन 'एम. जी.' की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था, तो वह और प्रतिवादी एन. ओ. एस. **1** और **2** संपत्ति में प्रत्येक के एक तिहाई हिस्से के हकदार होते।कानून के अनुसार महिला उत्तराधिकारियों को कुछ भी नहीं गया होगा जैसा कि उस समय था।हालाँकि, चूंकि विभाजन वास्तव में नहीं हुआ था, और प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी थीं, इसलिए 'एम. जी.' का एक तिहाई हिस्सा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **8** के अनुसार प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना था। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **30** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी हिंदू वसीयत या किसी अन्य वसीयत द्वारा संपत्ति के अपने हिस्से का निपटान कर सकता है जो उसके द्वारा इस तरह से निपटाया जा सकता है। धारा **30** के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि मिताक्षर सह-पक्ष में एक पुरुष हिंदू के हित को धारा **30** के अर्थ के भीतर उसके द्वारा निपटाई जाने वाली संपत्ति माना जाएगा।इसका मतलब यह है कि कानून निर्माताओं का इरादा था कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मिताक्षर सह-पक्ष में एक पुरुष हिंदू का हित वस्तुतः उसकी स्व-अर्जित

संपत्ति के समान होना चाहिए।इसके अलावा, जब धारा **30** को धारा **19** के साथ पढ़ा जाता है, जो यह प्रावधान करता है कि जब दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी एक निर्वसीयत की संपत्ति के लिए एक साथ सफल होते हैं, तो वे प्रति व्यक्ति संपत्ति को सामान्य किरायेदारों के रूप में लेंगे, न कि संयुक्त किरायेदारों के रूप में।यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संपत्ति को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना था, हालांकि इसे कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किराएदारों के रूप में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि संपत्ति को विभाजित नहीं किया जाता है, विभाजित नहीं किया जाता है या पारिवारिक निपटान में सौदा नहीं किया जाता है।यह मानते हुए भी कि संपत्ति एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, तब भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कर्ता यानी प्रतिवादी नं।**1** नाबालिग वादी का स्वाभाविक संरक्षक था।कर्ता हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंधक होता है और पूरे परिवार की ओर से कार्य करता है।हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, **1956** की धारा **6** संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित के संबंध में लागू नहीं होती है, लेकिन यहां जिस स्थिति से निपटा जा रहा है, वह यह है कि परिवार के सभी सदस्यों ने यह मानते हुए हिंदू अविभाजित परिवार को भंग करने का फैसला किया कि वह अस्तित्व में था।**[**परिच्छेद **10,15-16] [49-D-G; 50-A; 51-E-G; 52-A-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2.कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधक होता है।वह संयुक्त परिवार के नाबालिग सदस्यों का संरक्षक नहीं है।अधिनियम की धारा **6** में क्या प्रावधान है कि एक के प्राकृतिक संरक्षक

एच.

ए.

जहां तक संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित का संबंध है, उसे छोड़कर सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नाबालिग हिंदू उसका संरक्षक होगा।इसका मतलब यह होगा कि प्राकृतिक अभिभावक संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के हिस्से का

निपटान नहीं कर सकता है।इसका कारण यह है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता संपत्ति का प्रबंधक होता है।हालाँकि, यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच पारिवारिक समझौता हो रहा हो।जब ऐसा विघटन होता है और कुछ सदस्य कर्ता के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, तो यह स्पष्ट है कि कर्ता उस नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जिसका हिस्सा कर्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है।हितों का टकराव होगा।ऐसी स्थिति में केवल माँ ही स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ को अमान्य दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता है।सबसे अच्छा, यह अधिनियम की धारा **8** के संदर्भ में एक अमान्य दस्तावेज था और वादी के बहुमत प्राप्त करने के तीन साल के भीतर इसे चुनौती दी जानी चाहिए थी।इसके अलावा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि वादी को विभिन्न स्थानान्तरणों के बारे में पता नहीं था।उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **17-19] [52-C-E; 53-A-B]**

बी.

सी.

डी.

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा

मैग्डम और ओआरएस। (1978) 3 एससीसी 383:[1978] 3 एससीआर

ई.

761 ; धन कर आयुक्त, कानपुर और अन्य।

चंदर सेन और ओआरएस। (1986) 3 एससीसी 567:[1986] 3

एस. सी. आर. **254;** उपयुक्त प्राधिकरण **(**आई. टी. विभाग**)** और अन्य

वी.एम. अरिफुल्ला एंड अदर्स (2002) 10 एस. सी. सी. 342-पर भरोसा किया।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

[1978] 3 एससीआर **761**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

[1986] 3 एससीआर **254**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

(2002) 10 एससीसी **342**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2009 की सिविल अपील सं. 8642।

1996 के ए. एस. सं. 350 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

एच.

45

एम. अरुमुगम बनाम ए. एम. ए. एन. आई. ए. एम. एम. एल. और ओ. आर. एस. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

जयंत मुथ राज, वरिष्ठ अधिवक्ता, रॉय अब्राहम, पी. वी. दिनेश, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर (श्रीमती रेवती राघवन के लिए), अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. एक मूला गौंडर और उसके दो बेटे पलानीसामी (प्रतिवादी नं.1) और अरुमुगम (प्रतिवादी सं।2) एक सह-दल का गठन किया जो सूट संपत्ति का मालिक था।मूला गौंडर की मृत्यु बिना किसी वसीयत के 28.12.1971 पर निर्वसीयत हो गई।उनकी मृत्यु पर, संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा प्रत्येक बेटे को चला गया और शेष एक तिहाई जो सह-पक्ष में मूला गौंडर का हिस्सा था, उनकी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 5), दो बेटों (प्रतिवादी एन. ओ. एस.) को विरासत में मिलना था। 1 और 2) और तीन बेटियाँ।, वादी और प्रतिवादी एनओएस। 3 और 4.

सी.

2. 06.12.1989 पर, उनकी सबसे छोटी बेटी ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि मूला गौंडर के हिस्से में आने वाली संपत्ति जो उनके छह कानूनी

उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलनी थी, कभी भी विभाजित नहीं की गई थी और इसलिए, इसे कानून के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए।दोनों बेटों द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मूला गौंडर की मृत्यु के बाद, बेटियाँ यानी वादी और प्रतिवादी एन. ओ. एस। 3 और 4 और माँ (प्रतिवादी सं।5) दोनों बेटों, प्रतिवादी एन. ओ. एस. के पक्ष में संपत्ति में अपने अधिकारों को त्यागते हुए एक पंजीकृत रिहाई विलेख को संयुक्त रूप से निष्पादित किया था। 1 और 2। यह भी आग्रह किया गया था कि उक्त रिहाई विलेख में वादी जो उस समय नाबालिग थी, उसका प्रतिनिधित्व उसकी माँ ने किया था, जो उसकी स्वाभाविक अभिभावक थी, और माँ ने वादी की ओर से रिहाई विलेख को निष्पादित किया था।इसी तरह, प्रतिवादी नं। 1 ने प्रतिवादी नं. 1 के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। 2 जो उस समय नाबालिग भी था और उसने दोनों बेटों की ओर से रिहाई विलेख पर हस्ताक्षर किए।प्रतिवादी के बाद सं। 2 ने बहुमत प्राप्त किया, दो भाइयों, प्रतिवादी एन. ओ. एस. के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख निष्पादित किया गया। 1 और 2,24.04.1980 पर और उसके बाद, यह केवल प्रतिवादी NOS है। 1 और 2 जो उक्त संपत्ति के कब्जे में हैं।यह भी कहा गया था कि विभाजन विलेख वादी के पति द्वारा देखा गया था और वह इसके बारे में अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकती थी।यह भी आरोप लगाया गया था कि रिहाई विलेख में उल्लिखित राशि बहनों को दी गई थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. वादी द्वारा एक उत्तर लिखित बयान या प्रतिकृति दायर की गई थी जिसमें यह आग्रह किया गया था कि रिहाई विलेख कानून के तहत अमान्य था क्योंकि

एच.

माँ को अदालत की मंजूरी के बिना वादी के हिस्से को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं था।

4. निचली अदालत ने मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मां नाबालिग बेटी की स्वाभाविक अभिभावक के रूप में काम करती है और वादी द्वारा तीन साल की सीमा की

अवधि के भीतर रिहाई विलेख को अलग करने के लिए बहुमत प्राप्त करने पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

बी.

5. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मूला गौंडर की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में जो संपत्ति थी, वह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और मां नाबालिग की संरक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकती थी।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिहाई विलेख शुरुआत से ही अमान्य था और इसलिए, इसे चुनौती देने की आवश्यकता नहीं थी।अदालत ने आगे कहा कि संपत्ति मूला गौंडर के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति बनी हुई है और वादी के मुकदमे का फैसला किया।इसलिए, भाइयों में से एक द्वारा यह अपील जो प्रतिवादी नं।2 न्यायालय में।6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज और प्रतिवादी-वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर को सुना है।तथ्य विवादित नहीं हैं।एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या मूल गौंडर से विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में मां नाबालिग बेटियों की स्वाभाविक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है।7. इन मुद्दों से निपटने से पहले, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 6 का संदर्भ देना उचित होगा, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

सी.

डी.

ई.

"6. एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक।- प्राकृतिक संरक्षक

नाबालिग के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग के लिए -

एफ.

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में-पिता और उसके बाद माँःबशर्ते कि पाँच वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होगी।

जी.

..."

अधिनियम की धारा 8 का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

एच.

एम. अरुमुगम बनाम ए. एम. ए. एन. आई. ए. एम. एम. एल. और ओ. आर. एस. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

“8. प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ।- (1) ए के प्राकृतिक संरक्षक

हिंदू नाबालिग को इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए आवश्यक या उचित और उचित सभी कार्य करने की शक्ति है; लेकिन अभिभावक किसी भी मामले में नाबालिग को व्यक्तिगत वाचा द्वारा बाध्य नहीं कर सकता है।

बी.

(2) प्राकृतिक संरक्षक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, -

(क) नाबालिक की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक या शुल्क, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा हस्तांतरण; या (ख) ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से एक साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देना, जिस दिन नाबालिग बालिग होगा।

सी.

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उल्लंघन में एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी निपटान, नाबालिग या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर अमान्य है।...”

डी.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में उत्तराधिकार अधिनियम) की धारा 4 (बी), धारा 6, धारा 19 और धारा 30, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, निम्नानुसार पढ़िए:-

ई.

“ 4 (ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई अन्य कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होगा जहां तक कि यह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है।

“6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण।- जब ए.

एफ.

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के समय मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज होने पर, संपत्ति में उसका हित सह-पक्षीय के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि इस अधिनियम के अनुसारः

जी.

बशर्ते कि, यदि मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मृतक का हित मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में होगा।

एच.

इस अधिनियम के तहत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।स्पष्टीकरण 2-इस धारा के परंतुक में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पहले सह-सदस्य से खुद को अलग कर लिया है या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को उसमें निर्दिष्ट ब्याज में एक हिस्से का दावा करने के लिए सक्षम बनाता है।"

बी.

सी.

"19. दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार का तरीका।- अगर दो या

अधिक उत्तराधिकारी एक निर्वसीयत की संपत्ति के लिए एक साथ सफल होते हैं, वे संपत्ति ले लेंगे, -

डी.

(क) सिवाय इसके कि इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, प्रति व्यक्ति

और पट्टियों के अनुसार नहीं; और

(ख) सामान्य किरायेदार के रूप में और संयुक्त किरायेदार के रूप में नहीं।"

"30. नियम संबंधी उत्तराधिकार।- कोई भी हिंदू इसका निपटारा कर सकता है

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या उस समय लागू और हिंदुओं पर लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी संपत्ति का, जो उसके द्वारा इस तरह से निपटान करने में सक्षम है, वसीयत या अन्य वसीयती निपटान।स्पष्टीकरण।- मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित या एक तरवाड़ के सदस्य का हित,

ई.

एफ.

तरवाड़ की संपत्ति में तवाज़ी, इलम, कुटुम्बा या कावरू,

तवाज़ी, इलोम, कुटुम्बा या कावरू, इस अधिनियम या तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस धारा के अर्थ के भीतर उसके द्वारा या उसके द्वारा निपटाई जाने में सक्षम संपत्ति मानी जाएगी।"

जी.

8. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर प्रस्तुत करते हैं कि मूला गौंडर की मृत्यु के बाद, विचाराधीन संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों में विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि केवल एक हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के रूप में मिली थी।श्री प्रभाकर ने दृढ़ता से आग्रह किया कि ए

एच.

49

एम. अरुमुगम बनाम ए. एम. ए. एन. आई. ए. एम. एम. एल. और ओ. आर. एस. [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

संपत्ति एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति थी और केवल कर्ता अर्थात प्रतिवादी सं। 1 नाबालिग का प्रतिनिधित्व कर सकता था।कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार के नाबालिग सदस्यों का संरक्षक था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही माना कि जिस दस्तावेज़ को रिहाई विलेख कहा जाता है वह एक अमान्य दस्तावेज़ था।

9. दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज प्रस्तुत करते हैं कि जब मूला गौंडर की मृत्यु हुई थी, तो एक काल्पनिक विभाजन उनकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ माना जाता है जिसमें सह-पक्ष के दो जीवित सदस्य यानी प्रतिवादी एन. ओ. एस.। 1 और 2

को संपत्ति में प्रत्येक का एक तिहाई हिस्सा मिला और मूल गौंडर से संबंधित शेष एक तिहाई उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विरासत में मिलना था।

बी.

सी.

10. जब हम उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 को पढ़ते हैं तो प्रारंभिक भाग इंगित करता है कि एक पुरुष हिंदू की मृत्यु पर, सह-आंशिक संपत्ति में उसका हित सह-आंशिक के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि अधिनियम के अनुसार। इसका मतलब यह होगा कि केवल भाइयों को ही संपत्ति मिलेगी।हालांकि, प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यदि मृतक अनुसूची के वर्ग-1 में निर्दिष्ट महिला उत्तराधिकारी को पीछे छोड़ देता है, तो सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।धारा 6 का प्रारंभिक भाग, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि केवल पुरुष वंशज ही जीवित बचे थे, तो उन्हें स्वतः ही सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार या हित प्राप्त होंगे।उस समय सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए था कि परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि कोई प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी है, तो मृतक का हित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।धारा 6 के पहले स्पष्टीकरण में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हिंदू सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में उसका हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता।वर्तमान मामले में, यदि विभाजन मूला गौंडर की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था, तो वह और प्रतिवादी एन. ओ. एस। 1 और 2 संपत्ति में प्रत्येक के एक तिहाई हिस्से के हकदार होते। कानून के अनुसार महिला उत्तराधिकारियों को कुछ भी नहीं गया होगा जैसा कि उस समय था।हालाँकि, चूंकि विभाजन वास्तव में नहीं हुआ था, और

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी थीं, मूल गौंडर का एक तिहाई हिस्सा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना था।

11. गुरुपद में खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा

मैग्डम और ओआरएस। 1, मुख्य मुद्दा यह था कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 8 के संदर्भ में एक हिंदू विधवा को क्या हिस्सा मिलेगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभाजन जो एक माना गया विभाजन था, मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले के समय तक सीमित नहीं हो सकता है, लेकिन "वास्तविक विभाजन से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को तार्किक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे और विभाजन में एक हिस्सा प्राप्त किया था जो मृतक के जीवन काल के दौरान हुआ था।" न्यायालय ने आगे कहा कि विभाजन को एक ठोस वास्तविकता के रूप में माना और स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे बाद के चरण में याद नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

12. धन कर आयुक्त, कानपुर और अन्य बनाम

डी.

चंदर सेन और ओआरएस। 2, पिता और पुत्र के बीच संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित विवाद।इस व्यवसाय को विभाजित किया गया और उसके बाद, एक साझेदारी फर्म द्वारा चलाया गया जिसमें दोनों भागीदार थे।पिता की मृत्यु के बाद वे अपने पीछे अपने बेटे, दो पोते और फर्म के खाते में क्रेडिट बैलेंस छोड़ गए।जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या मृतक द्वारा छोड़े गए खाते में क्रेडिट बैलेंस को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में माना जाना था या संपत्ति को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किया जाना था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तराधिकार अधिनियम सभी मिताक्षर कानूनों का स्थान ले लेता है।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:-

ई.

“ 22 .... हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी हिंदू को सौंपी गई संपत्ति को उसके अपने बेटे की तुलना में उसके हाथ में एचयूएफ रखना आज मुश्किल होगा; यह पहली श्रेणी में उल्लिखित उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्ग बनाने के बराबर होगा, पुरुष उत्तराधिकारी जिनके हाथों में यह संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति होगी और पुत्र और महिला

उत्तराधिकारी जिनके संबंध में ऐसी कोई अवधारणा लागू या विचार नहीं किया जा सकता था।यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों में विधवा, मां, पूर्व मृत बेटे की बेटी आदि शामिल थीं।"

एफ.

जी.

1 (1978) 3 एससीसी 383 2 (1986) 3 एससीसी 567 ए

एच.

51

एम. अरुमुगम बनाम AMMANIAMMMAL और ORS। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

तदनुसार, यह निर्देश दिया गया कि ऋण शेष उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विरासत में प्राप्त होगा।

13. उपयुक्त प्राधिकरण **(**आई**.** टी**.** विभाग**)** और अन्य बनाम एम**.**

अरिफुल्ला और अन्य 3 जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 8 के संदर्भ में विरासत में मिली संपत्ति को सह-मालिकों की संपत्ति के रूप में माना जाना था या संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में।न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

बी.

"3. ... इस न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. टी. बनाम में निर्णय दिया है। चंदर सेन ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत हस्तांतरित संपत्ति, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति है जिसे वही विरासत में मिलती है न कि एचयूएफ की। वास्तव में, विशेष अनुमति याचिका में, यह स्वीकार किया जाता है कि 2 से 5 प्रत्यर्थीगणओं को उक्त टी. एम. दोराईस्वामी से संपत्ति विरासत में मिली थी।इसलिए, उन्होंने इसे सामान्य किरायेदारों के रूप में रखा, न कि संयुक्त किरायेदारों के रूप में।"

सी.

14. उपरोक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि मूला गौंडर की मृत्यु के बाद, सह-संपत्ति में उनका हित धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कई महिला वर्ग-1 उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ दिया था।

डी.

15. इस दृष्टिकोण को अपनाने का एक और कारण है।उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी हिंदू वसीयत या किसी अन्य वसीयती स्वभाव से

संपत्ति के अपने हिस्से का निपटान कर सकता है जो उसके द्वारा इस तरह से निपटाया जा सकता है।धारा 30 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि मिताक्षर सह-पक्ष में एक पुरुष हिंदू के हित को धारा 30 के अर्थ के भीतर उसके द्वारा निपटाई जाने वाली संपत्ति माना जाएगा।इसका मतलब यह है कि कानून निर्माताओं का इरादा था कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मिताक्षर सह-पक्ष में एक पुरुष हिंदू का हित वस्तुतः उसकी स्व-अर्जित संपत्ति के समान होना चाहिए।इसके अलावा, जब हम धारा 19 के साथ धारा 30 को भी पढ़ते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि जब दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी निर्वसीयत की संपत्ति के लिए एक साथ सफल होते हैं, तो वे प्रति व्यक्ति संपत्ति को सामान्य किरायेदारों के रूप में लेंगे, न कि संयुक्त किरायेदारों के रूप में।यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संपत्ति को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना था, हालांकि इसे कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किराएदारों के रूप में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि संपत्ति को विभाजित नहीं किया जाता है, विभाजित नहीं किया जाता है या पारिवारिक निपटान में सौदा नहीं किया जाता है।

ई.

एफ.

जी.

3 (2002) 10 एससीसी 342

एच.

16. यह मानते हुए भी कि संपत्ति एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि कर्ता यानी प्रतिवादी नं। 1 नाबालिग वादी का स्वाभाविक संरक्षक था।कर्ता हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंधक होता है और पूरे परिवार की ओर से कार्य करता है।यह सच है कि अधिनियम की धारा 6 संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित के संबंध में लागू नहीं होती है, लेकिन यहां हम एक ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां परिवार के सभी सदस्यों ने यह मानते हुए हिंदू अविभाजित परिवार को भंग करने का फैसला किया कि एक अस्तित्व में था।17. कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधक होता है।वह संयुक्त परिवार के नाबालिग सदस्यों का संरक्षक नहीं है।अधिनियम की धारा 6 में जो प्रावधान है वह यह है कि एक नाबालिग हिंदू का स्वाभाविक संरक्षक संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित को छोड़कर सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसका

संरक्षक होगा।इसका मतलब यह होगा कि प्राकृतिक अभिभावक संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के हिस्से का निपटान नहीं कर सकता है।इसका कारण यह है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता संपत्ति का प्रबंधक होता है।हालाँकि, यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच पारिवारिक समझौता हो रहा हो।जब ऐसा विघटन होता है और कुछ सदस्य कर्ता के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, तो यह स्पष्ट है कि कर्ता उस नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जिसका हिस्सा कर्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है।हितों का टकराव होगा।ऐसी स्थिति में केवल माँ ही स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ को अमान्य दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता है।सबसे अच्छा, यह अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में एक अमान्य दस्तावेज था और वादी के बहुमत प्राप्त करने के तीन साल के भीतर इसे चुनौती दी जानी चाहिए थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

18. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यह मानने के अन्य कारण भी हैं कि वादी द्वारा स्थापित मामला उसकी जानकारी में भी सही नहीं था।हालाँकि वादी नाबालिग थी जब 10.03.1973 दिनांकित रिहाई विलेख निष्पादित किया गया था, वह कम उम्र की नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी।24.04.1980 पर, प्रतिवादी NOS के बीच एक विभाजन हुआ। 1 और 2 (दो भाई) और इस विभाजन में वे सभी संपत्तियाँ शामिल थीं जिन पर अब वादी द्वारा दावा किया गया है।विभाजन विलेख दिनांक 24.04.1980, जिसे विधिवत पंजीकृत किया गया था, पर वादी के पति द्वारा एक प्रमाणक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।कुछ दिनों बाद, दोनों भाइयों ने अपनी माँ, प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में एक निपटान विलेख निष्पादित किया। 5 जिस पर वादी के पति ने भी गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे।इस विभाजन के बाद, दोनों भाई ए के कब्जे में रहे।

एफ.

जी.

एच.

इस संपत्ति से संपत्ति और निष्पादित विभिन्न हस्तांतरण।इसलिए, यह विश्वास करना मुश्किल है कि वादी को विभिन्न स्थानान्तरणों के बारे में जानकारी नहीं थी।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.07.2008 के फैसले को दरकिनार करते हैं और दिनांकित 29.11.1994 के निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हैं।लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.